सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **34 / 2019** अपील (राजस्व)

1. श्री कन्ना पिता श्री प्रथा भाम्बी, निवासी ग्राम भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : श्री अनिल त्रिपाठी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–24.09.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली दिनांक 15.05.2019 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं वाकयाती बिन्दु को नजरअंदाज फरमाया कि विवादित कृषि भूमि ग्राम भानसोल की आराजी नं. 1184 रकबा 13 बिस्वा अपीलान्ट के निजी खाते की है तथा अपीलान्ट के खाते की आराजी के तीनो ओर आबादी के मकानात स्थित है तथा खाते की जमीन के दक्षिण दिशा में सरकारी खुली जमीन स्थित है। जिसे आबादी में परिवर्तन हेतु संशोधित नियम ग्रामीण क्षैत्र के कृषि भूमि को संपरिवर्तन जांच भूअभिलेख निरीक्षक से करवायी गई जिसमें दिनांक 10.05.19 को जांच कर रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई उजर अपीलान्ट के खाते की कृषि भूमि में नहीं किया बल्कि रिपोर्ट में अंकित किया

है कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी एवं वाकयाती बिन्दुओं को नजरअंदाज किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को जानबुझकर नजरअंदाज कर आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी एवं वाकीयाती त्रुटि की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली जिला उदयपुर का आदेश दिनांक 15.05.19 को अपास्त किये जाने एवं अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तन करने के आदेश प्रदान किये जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भानसोल तहसील मावली की प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नं. 1184 रकबा 13 बिस्वा खातेदारी की होकर आराजी के तीनों ओर आबादी के मकान स्थित है तथा खाते की जमीन में दक्षिण दिशा में सरकारी खुली जमीन स्थित हैं जिसे नियमानुसार कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र तहसीलदार मावली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट ली गई। ग्राम पंचायत भानसोल द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि को कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.06.18 को इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिन व्यक्तियों के बिलानाम आबादी भूमि पर कब्जे स्थित है, उन व्यक्तियों द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कब्जे हटाने हेतु निवेदन किया गया। जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कोई रास्ता नहीं होने बाबत किसी ठोस आधार के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज कर दिया गया एवं अपने आदेश में यह लिखा गया है कि नियमानुसार रास्ता नहीं होने से संपरिवर्तन का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा कानून से परे जाकर आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.19 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में साफ व स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 13.05.19 की भू–अभिलेख निरीक्षक थामला की रिपोर्ट में प्रस्तावित आराजी सं. 1184 रकबा 13 बिस्वा किस्म बीड जिस पर पहुंच हेतु मानक चौडाई का रास्ता सम्पर्कित नहीं है। उक्त आराजीयात के सहारे–सहारे आबादी भूमि आराजी सं. 1314 में दिगर व्यक्तियों के कब्जे है। पहुंच मार्ग 20 फीट चौडाई में होकर दक्षिण छोर से प्रवेश होता है। रास्ता रेकार्डेड अंकित नहीं है। जिस हेतु अपीलार्थी का संपरिवर्तन प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया। जो विधिवत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि आराजी सं. 1314 में दिगर व्यक्तियों के कब्जे है, जिनके द्वारा जो शपथपत्र प्रस्तुत किये गये उन पर न्यायालय द्वारा घोर नहीं किया गया। ना ही ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट विधिवत प्राप्त की गई। मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज कर दिया गया। जो न्यायोचित नहीं है। आबादी भूमि आराजी सं. 1314 में दिगर व्यक्तियों के कब्जे बताये गये है। आराजी सं. 1314 राजकीय बिलानाम आबादी है या ग्राम पंचायत भानसोल की आबादी भूमि है। जिसका उल्लेख भी अपने निर्णय में नहीं किया गया है। ऐसे दिगर व्यक्ति जिनके द्वारा अवैध रूप से आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है। यदि मौके पर रास्ता नियमानुसार उपलब्ध है तो मौके पर किसी के अतिक्रमण करने या बाधित किये जाने से प्रार्थी की भूमि के भू–रूपान्तरण के अधिकार समाप्त

नहीं किये जा सकते है। ऐसी परिस्थिति में जो भी अवैध कार्य हो रहा है उसे रूकवाने/सही करने का दायित्व भी प्रशासन (पंचायतीराज/राजस्व विभाग) का ही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली का आदेश दिनांक 15.05.19 को खारीज किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधि में प्रदत्त नियमों के तहत पत्रावली का पुनः परीक्षण कर हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर